दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 08.05.2024

<u>नि.प्र.अ.(वाणि) 183/2023 और सि.वि.आ. 44379/2023</u>

सुकरा लॉजिस्टिक्स और अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा श्री नमन द्विवेदी, श्री विष्णु उन्नीकृष्णनन, अधिवक्तागण

बनाम

ईएमयू लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड। ..... प्रत्यर्थी

द्वारा श्री. उदय कुमार, अधिवक्ता।

<u>कोरमः</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरु</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू</u>

<u>न्या. विभु बाखरु</u> (मौखिक)

1. अपीलार्थी सं.1, एक भागीदारी फर्म है और अपीलार्थी सं.1 और 3 अपीलार्थी सं.1 फर्म के भागीदार होने के नाते, (वाद में प्रतिवादीगण - बाद में जिन्हें सामूहिक रूप से प्रतिवादीगण के रूप में संदर्भित किया गया है) ने सि.वा.(वाणि) 171/2022 शीर्षक एमू लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुकरा लॉजिस्टिक्स और अन्य में विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा

दिए गए आदेश/डिक्री पर आक्षेप करते हुए वर्तमान अपील दायर की है। आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने वाद दायर करने की तारीख से प्रत्यर्थी (वाद में वादी -जिसे बाद में वादी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है) के पक्ष में इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 12% प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ ₹ 10,39,513 की राशि का डिक्री दिया गया। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने वादी के पक्ष और प्रतिवादीगण के विरुद्ध मुकदमेबाजी के खर्च, कानूनी शुल्क और न्यायालय शुल्क के लिए 23,550/- रुपये की लागत का भी डिक्री दिया गया।

2. वादी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और वस्तुओं और संबद्ध सेवाओं के अग्रेषण के व्यवसाय में शामिल है। वादी ने वसूली के लिए वाद [सि.वा.(वाणि) 171/2022] दायर किया यह दावा करते हुए कि उसने भारतीय बंदरगाहों से विदेशी गंतव्यों तक माल को पहुँचाने की सेवाएं प्रदान की थीं। इसने प्रदान की गई सेवाओं के लिए चालान भी जुटाए थे, लेकिन प्रतिवादीगण ने चालान राशि का भुगतान नहीं किया था और ₹ 6,68,372 की राशि बकाया बनी रही। वादी ने चालान की तारीख से कानूनी नोटिस जारी करने की तारीख तक चालान की राशि (₹ 6,68,372-) पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की भी मांग की, जिसकी मात्रा ₹ 3,81,141-निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, वादी ने वाद्कालीन और भविष्य के लिए ब्याज की भी मांग की।

3. हालाँकि अपीलार्थीगण (वाद में प्रतिवादीगण) के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिविरोध है कि समन दिनांक 26.04.2022 को जारी किए गए थे, विचारण न्यायालय का अभिलेख इंगित करता है कि वाद दर्ज करने और सभी संभावित तरीकों से समन भेजने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2022 को जारी किए गए थे और मामले को प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए दिनांक 26.05.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

4. उक्त आदेश के अनुपालन में, समन दिनांक 29.04.2022 को जारी किए गए थे। प्रतिवादी सं.1 और 2 (वर्तमान अपील में अपीलार्थी सं.1 और 2) के लिए विद्वान अधिवक्ता दिनांक.26.05.2022 को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। कार्यवाहियों को अभिलेखित करने वाले आदेश से संकेत मिलता है कि उक्त तिथि पर, वादी ने वाद के संशोधन के लिए एक आवेदन सहित कुछ आवेदन दायर किए थे। वही सुना गया और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया। इसके बाद मामले को प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति के साथ-साथ अन्य आवेदनों पर विचार करने के लिए दिनांक 24.08.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

5. दिनांक 24.08.2022 को, पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और तत्पश्चात मामले को दिनांक 07.11.2022 को पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

6. उक्त तिथि पर (अर्थात, 07.11.2022 को), प्रतिवादी सं. 3 (वर्तमान अपील में अपीलार्थी सं.3) के नाम को सही करने के वादी के आवेदन को अनुमति दी गई और पक्षकारों के

संशोधित ज्ञापन को अभिलेख पर रखा गया। न्यायालय ने निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के साथ-साथ लिखित बयान दाखिल करने के निर्देश भी जारी किया। इसके बाद मामले को दिनांक 23.12.2022 को सूचीबद्ध किया गया। हालाँकि, प्रतिवादीगण ने निर्देशानुसार अपना बयान दर्ज नहीं कराया। इस मामले को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिनांक. 23.12.2022 को सुना गया और अभिवचनों को पूरा करने के लिए दिनांक. 14.02.2023 को पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। पर्याप्त अवसर के बावजूद प्रतिवादीगण ने न तो अपना लिखित बयान दाखिल किया और न ही दस्तावेजों के स्वीकारोक्ति और अस्वीकृति का बयान दायर किया। दिनांक 14.02.2023 को भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

7. चूंकि लिखित बयान दाखिल करने के लिए अधिकतम उपलब्ध समय (120दिन) बीत चुका था, इसलिए विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए प्रतिवादीगण के अधिकारों को बंद किया और विवादित निर्णय और डिक्री पारित की।

8. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पाया कि वादी का मामला 13 चालानों पर आधारित था, जिन्हें पेश किया गया था और एक हलफनामे द्वारा भी समर्थित किया गया था। इसके अलावा, वादी ने यह भी पुष्टि की थी कि उसने सामान्य व्यवसाय के दौरान नियमित रूप से खातों की एक नियमित बही रखी थी और ₹6,68,372/- के बकाया शेष को दर्शाते हुए खातों का विवरण भी प्रस्तुत किया था

9. चूंकि प्रतिवादीगण ने वादपत्र में किए गए कथनों का खंडन नहीं किया था और चालान या खातों के विवरण पर विवाद नहीं किया था, इसलिए विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद सि.प्र.स.) के आदेश VIII नियम 10 का संदर्भ दिया और अभिलेख मे मौजूद सामग्री के आधार पर वाद का डिक्री दिया।

10. हमने विचारण न्यायालय अभिलेख की जांच की है और पाया है कि वादपत्र को शपथपत्र और सत्यता के कथन द्वारा विधिवत समर्थित किया गया था जो कि अधिनियम, 2015 के तहत वाणिज्यिक विवादों पर लागू सि.प्र.स. के आदेश VI नियम 15 क के तहत अपेक्षित है| वादी का मामला यह था कि उसने सेवाएं प्रदान की थीं और समय-समय पर चालान जारी किया था। वादी ने संबंधित कर चालान के साथ-साथ खाता बही विवरण भी प्रस्तुत किया था। खातों के विवरण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद साक्ष्य अधिनियम) की धारा 65 ख के तहत प्रमाण पत्र द्वारा भी समर्थन किया गया था। वादी ने प्रतिवादीगण को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया एक कानूनी नोटिस भी प्रस्तुत किया था, साथ ही एक इंटरनेट ट्रैकिंग अभिलेख भी पेश किया था, जो दर्शाता है कि वही तामील किया गया था। उक्त नोटिस ईमेल के माध्यम से भी भेजा गया था, जिसका प्रिंट आउट साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के तहत एक प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था। चालान में कुछ नियम और शर्तें दर्ज थीं, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि देरी से भुगतान पर 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वादी ने चालान की तारीख से कानूनी नोटिस जारी करने की तारीख 23.02.2021 तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी दावा किया था और इसकी मात्रा ₹ 3,81,141-निर्धारित की थी। दिनांकित 23.02.2021 कानूनी नोटिस के संदर्भ में, वादी ने ₹ 10,39,513-[अपठनीय रेक्ट. ₹10,49,513] की राशि की मांग की थी। कानूनी सूचना (साथ ही साथ वाद में) में निर्धारित दावा की गई राशि की गणना का संकेत देने वाला एक सारणीबद्ध विवरण नीचे दिया गया हैः

चालान	चालान कि तिथि	विलंब	पीपी राशि	24% कि दर से ब्याज	कुल राशि
DD006638	03-09-2018	903	79,854	47413	₹1,27,267.27
DD007755	26-09-2018	880	590	341	₹931.39
DD009543	03-11-2018	842	590	327	₹931.39
DD008592	15-10-2018	861	49,970	28290	78,259.87
DD008515	12-10-2018	864	59,676	33903	₹93,578.51
DD008516	12-10-2018	864	1,15,912	65851	₹1,81,762.72
DD008988	23-10-2018	853	60,896	34155	₹95,051.15
DD007969	01-10-2018	875	59,779	34393	₹94,172.40
DD008117	04-10-2018	872	1,475	846	₹2,320.72
DD006990	11-09-2018	895	58,349	34338	₹92,686.48
DD009482	02-11-2018	843	60,049	33285	₹93,334.24
DD008772	17-10-2018	859	60,896	34395	₹95,291.40
DD009215	29-10-2018	847	60,337	33604	₹93,940.58

	कुल राशी		6,68,372	3,81,141	10,49,513

12. इसमें स्पष्ट रूप से टंकण संबंधी त्रुटि है क्योंकि सारणीबद्ध विवरण ₹ 10,49,513-के रूप में राशि को दर्शाता है, जबकि दावा की गई राशि ₹10,39,513/- है। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने डिक्री को ₹10,39,513/- तक सीमित कर दिया था।

13. वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित था, जिसे विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादी ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए सत्यता का कथन भी दायर किया था। इस दृष्टिकोण में, कोई अन्य सबूत नहीं था जिसे वादी द्वारा अपने दावे को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। प्रतिवादीगण ने पर्याप्त अवसरों के बावजूद वाद में किए गए दस्तावेजों या प्रकथनों का खंडन नहीं किया था। इस दृष्टिकोण में, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा वाद में आक्षेपित निर्णय और डिक्री देने के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

14. प्रतिवादीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया कि वादी का दावा सुकरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड-एक निजी कंपनी पर उठाए गए पत्राचार और चालान पर आधारित था। हालाँकि, वादी ने सुकरा लॉजिस्टिक्स, जो एक फर्म और उसके भागीदार थे पर वाद दायर किया था। उन्होंने कहा कि सभी आदेश सुकरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा से प्राप्त किए गए थे और इसलिए, प्रतिवादीगण प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

15. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि वर्तमान अपील में, प्रतिवादीगण ने निम्नानुसार प्रकथन किया हैः

> "2. यह कि वाणिज्यिक वाद प्रत्यर्थी की कंपनी के सहायक प्रबंधक श्री हीरा बिष्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कुछ चालानों के बल पर अपीलार्थी के प्रति प्रत्यर्थी की कंपनी के एक अधिकृत प्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद कि अपीलार्थी भागीदारी फर्म का नाम मेसर्स सुकरा लॉजिस्टिक्स है जो मेसर्स सुकरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम पर नहीं है और सभी आदेश केवल मेसर्स सुकरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड माध्यम से दिए गए थे, और यहां तक कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर सभी चालानों ने मेसर्स सुकरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आदेश दर्ज किए थे। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध दायर सि.वा.(वाणी) संख्या 171/2022 की प्रति संलग्न है तथा अनुलग्नक -क-1 के रूप चिह्नित किया गया है।

16. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि प्रतिवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को अपील के पैराग्राफ 2 (जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है) में किए गए कथनों तक सीमित कर दिया था।

17. हमें उक्त तर्क का पालन करना मुश्किल लगता है क्योंकि यह अप्रमाणित है। तदनुसार, हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख से अधिवक्ता को सूचित किया था कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान, जिस पर उसने अपना मामला स्थापित किया था, सुकरा लॉजिस्टिक्स को संबोधित था, न कि किसी निजी कंपनी को। कानूनी नोटिस सुकरा लॉजिस्टिक्स और उसके भागीदारों (प्रतिवादी सं.2 और 3) को भी भेजा गया था। प्रतिवादी सं.1 फर्म (सुकरा लॉजिस्टिक्स) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत

पंजीकृत थी और वादी ने जीएसटी विभाग से दस्तावेजों के प्रिंट आउट भी प्रस्तुत कराए थे। यह प्रतिविरोध कि सभी आदेश मेसर्स सुकरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा से दिए गए थे, निराधार है।

18. हम उक्त प्रतिविरोध को अस्वीकार्य और स्पष्ट रूप से अभिलेख पर दस्तावेजों के विपरीत पाते हैं।

19. अपील अस्वीकार्य है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

न्या. विभु बाखरू,

न्या. तारा वितस्ता गंजू,

08 मई, 2024
आरके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*